संख्याः–   / II–2016–12/1(12)/2006

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुनर्वास निदेशक
टिहरी बॉध परियोजना
नई टिहरी।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 में टिहरी बॉध परियोजना पुनर्वास मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के घोण्टी हल्का वाहन पुल की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–293/पु0नि0टि0बा0परि/नई टिहरी/16 दिनांक 20.05.2016 एंव मुख्य अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 1274(बी)/ मु0अ0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 132/II–2015–12/1(12)/2012 दिनांक 16 फरवरी, 2016 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के घोण्टी हल्का वाहन पुल के पुनरीक्षित प्राक्कलन की टीएसी वित्त द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 3083.17 लाख में से मूल आगणन की पूर्ण अवमुक्त धनराशि रू0 2369.50 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 713.67 लाख (50 प्रतिशत राज्य सरकार एंव 50 प्रतिशत टीएचडीसी) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना के अवशेष कार्यो हेतु राज्यॉश रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय।

(i) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(iv) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(v) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–15–टिहरी बॉध परियोजना का पुनर्वास–800–अन्य व्यय–02–रखरखाव–0201– परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को विास–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–158/XXVII(2)/2016, दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

<u>संख्याः– 1315 (1)/ II–2016–12/1(12)/2006तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।